संख्या- 8/2018/44 बीपी/35-1-2018

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक: **31** मार्च, 2018

विषय:बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में वेयरहाउसिंग एवं मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–5/2018/43बीपी/35-1-2018 दिनांक 28 मार्च 2018 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश के पृष्ठांकन में-
"14-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ " पढ़ा जायेगा। सन्दर्भित शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें। सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

आर.एन.एस.यादव
विशेष सचिव

संख्या– 8/2018/44बीपी (1)/35-1-2018 तद्द दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
7. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
8. जिलाधिकारी, झांसी / ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ ।
11. गार्ड फाइल ।
12. वित्त(व्यय नियंत्रण), अनुभाग-5
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
14. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

आज्ञा से

आर.एन.एस.यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in